

कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर-332001

ई-मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572-245057

क्रमांक:- न.वि.न्या / नियमन / 2024 / 00433

दिनांक:-12.07.2024

प्रेषिती:-

गोकुल चन्द्र मीणा पुत्र श्री फूलचन्द मीणा
जाति मीणा निवासी बी-10/143,
चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर जयपुर।

विषय:- राजस्व ग्राम नानी तहसील सीकर ग्रामीण के खसरा नम्बर 986 रकबा 0.8400 है. में से 8150.00 वर्गमीटर (मौके पर उपलब्धानुसार) भूमि में शिव कॉलोनी आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम नानी तहसील सीकर ग्रामीण के खसरा नम्बर 986 रकबा 0.8400 है. में से 8150.00 वर्गमीटर (मौके पर उपलब्धानुसार) भूमि में शिव कॉलोनी आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अधधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जावे।
 2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनीकीविद की देख-रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों ओर सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
 3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होंगे तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
 4. वाटर ड्रेनेज, ओवर हैड टैंक एवं सीवरेज लाईन हेतु राशि न्यास कोष में राशि जमा करवाई गई है।
 5. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
 6. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
 7. भू-खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू-खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
 8. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
 9. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 12, 13, 14 व 15) भू-खण्डों का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
 10. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allottees).
 11. बोरिंग/ट्यूबवेल/पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
 12. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।
- संलग्न:- योजना मानचित्र।

RajKaj Ref
8920564

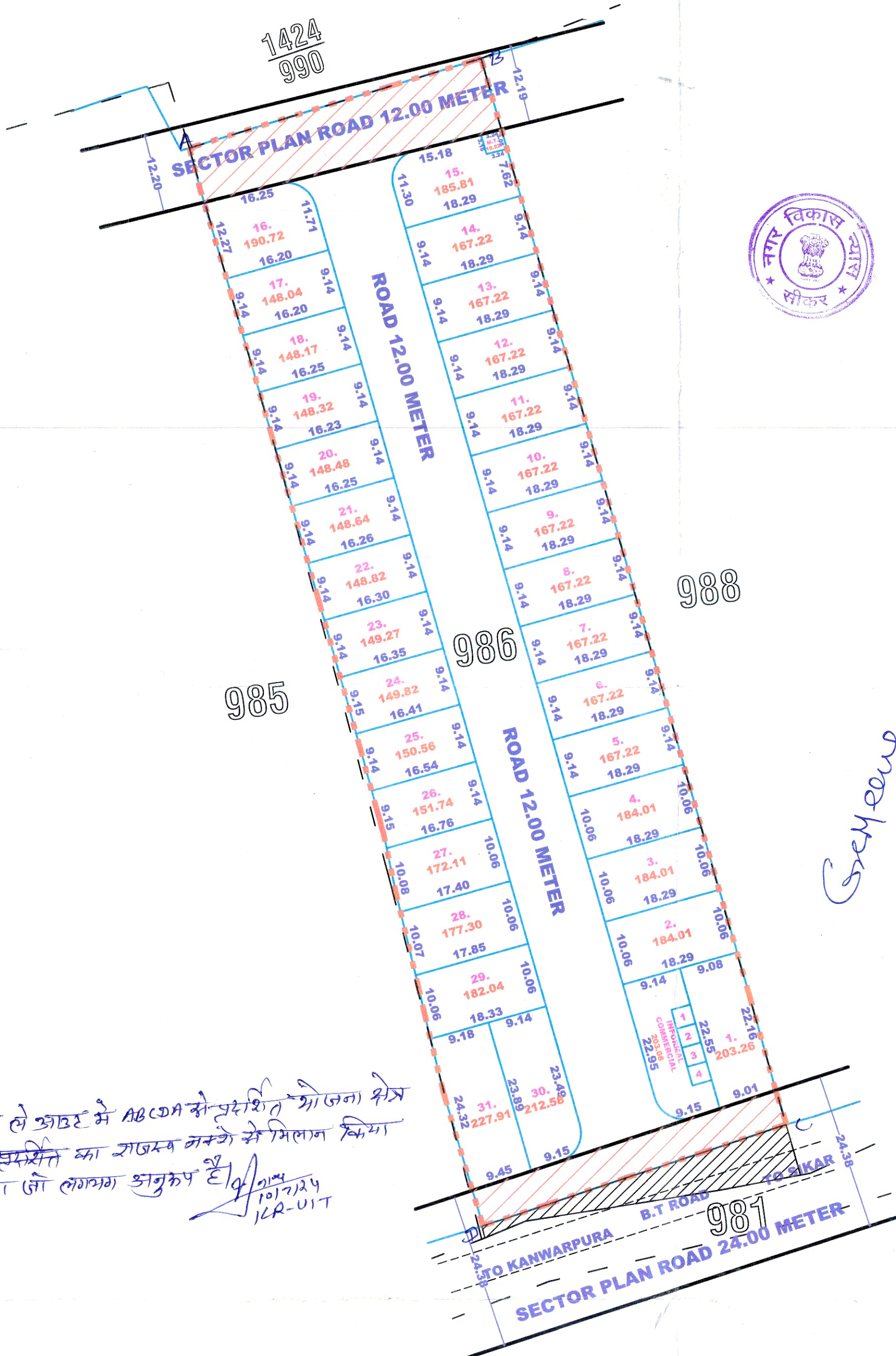
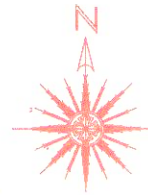


(जय कौशिक)
Signature valid

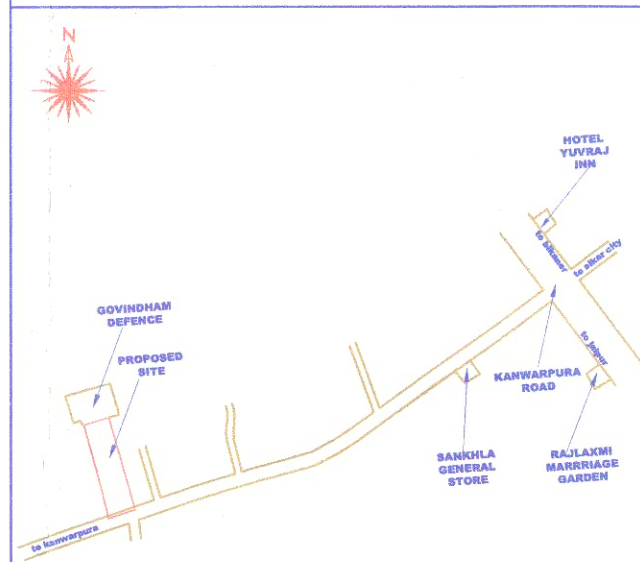
नगर विकास न्यास,
Digitally Signed by Jai Kaushik
Designation: Sub Divisional Officer
Date: 2024.07.12 17:31:04 IST
Reason: Approver

SHIV COLONY RESIDENTIAL SCHEME

LAYOUT PLAN OF KHASRA NO.986, KANWARPURA ROAD,SIKAR
REVENUE VILL. -NANI, TEH.- SIKAR GRAMIN, DIST. SIKAR (RAJ.)
FOR- 90A AND RESIDENTIAL CONVERSION (SCHEME)
APPLICANT:-GOKUL CHANDRA MEENA S/O PHOOLCHAND MEENA



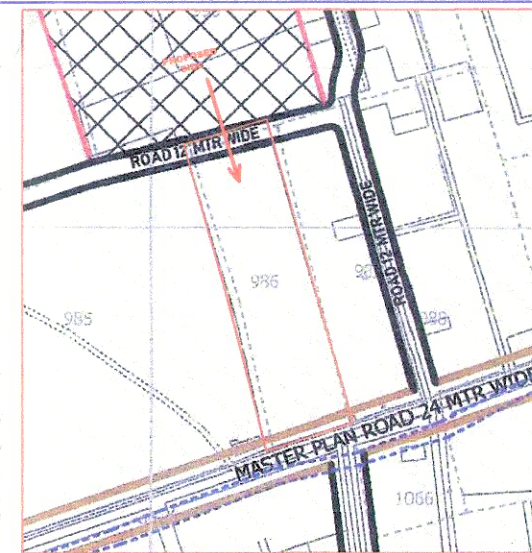
URBAN IMPROVEMENT TRUST SIKAR



KEY-PLAN Not To Scale



GOOGLE EARTH MAP



MASTER PLAN

AREA ANALYSIS

S.N.	LAND USE	AREA (sq.mtr.)	%
1.	RESIDENTIAL	5267.83	64.64%
2.	INFORMAL COMMERCIAL	0203.08	02.49%
3.	MOBILE TOWER	0010.22	00.13%
4.	ROAD	1925.49	23.62%
5.	AREA SURRENDER IN MASTER/SECTOR PLAN ROAD	743.38	09.12%
6.	TOTAL	8150.00	100.00 %

SCHEME PLOTS DETAIL

1.	PARTICULARS	NO.
2.	RESIDENTIAL PLOTS	31
3.	INFORMAL COMMERCIAL	4
4.	MOBILE TOWER	1

SCHEME BOUNDARY

KHASRA LINE

PLOT BOUNDARY

ROAD SURRENDER IN FRONT (Already Constructed B.T Road)

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN METER

SCALE-1 C.M. =6.0 MTR

योजना का नाम SHIV Colony Residential Scheme को ले-आउट
आज दिनांक 11/7/2024 को लेआउट प्लान
कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

11/07/2024
प्रमुख नियोजक
नगर विकास न्याय, सीकर

अधिसूचना/37/2024
नगर विकास न्याय
सीकर

11/7/24
सचिव
नगर विकास न्याय, सीकर

TOTAL AREA IN KH. NO. 986 =8400.00 SQ. MTR

LAND NOT AVAILABLE AT SITE IN POSSESSION =250.00 SQ. MTR

AREA FOR CONVERSION=8150.00 SQ. MTR